प्रेस विज्ञप्ति

06.04.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स पीयूष कोलोनाइजर्स लिमिटेड, कंपनी के पूर्व-प्रवर्तकों और उनके संबंधित व्यावसायिक संस्थाओं/व्यक्तियों के पास स्थित लगभग 944 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई अचल संपत्तियों में फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी और भिवाड़ी में स्थित परियोजना भूमि, फ्लैट, कृषि भूमि और वाणिज्यिक स्थान शामिल हैं। परियोजना भूमि के टुकड़े पलवल (लगभग 63 एकड़), भिवाड़ी (लगभग 62 एकड़), धारूहेड़ा (लगभग 7 एकड़) और फरीदाबाद आदि में लगभग 19000 वर्ग फुट का वाणिज्यिक स्थान पर स्थित हैं।

इसके बाद, ई.डी. गुरुग्राम ने भी मेसर्स पीयूष कोलोनाइज़र्स लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर अमित गोयल और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुरुग्राम के समक्ष 30.03.2026 को अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

ईडी ने हरियाणा पुलिस, ईओडब्ल्यू नई दिल्ली और सीबीआई द्वारा आईपीसी, 1860 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के आरोपों के संबंध में जांच शुरू की। अपराधों के परिणामस्वरूप पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी और भिवाड़ी में स्थित पीयूष ग्रुप की विभिन्न परियोजनाओं के खरीदारों को इकाइयां नहीं सौंपी गईं। पीयूष ग्रुप की विभिन्न परियोजनाओं में 1500 से अधिक खरीदार थे और पीयूष ग्रुप द्वारा प्राप्त धन को हेराफेरी करके उसकी सहायक कंपनियों को मौजूदा परियोजनाओं को पूरा किए बिना भूमि के टुकड़ों में बाद के निवेश के लिए भेज दिया गया था। आगे की जांच से पता चला कि प्रमुख प्रमोटरों ने दिवालियापन की कार्यवाही के दौरान घर खरीदारों से परियोजना भूमि को धोखा देने और अलग करने के लिए परियोजना भूमि वाले शेयरों के हस्तांतरण के माध्यम से सभी भूमि टुकड़ों को पूर्व प्रमोटरों के परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दिया। पीयूष ग्रुप के प्रमोटरों के इस कृत्य के परिणामस्वरूप परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकीं और बाद में परियोजना कंपनी मेसर्स पीयूष कोलोनाइजर्स लिमिटेड ने वर्ष 2019 में सीआईआरपी में प्रवेश किया। हालांकि, इसके लिए समाधान योजना को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।

आगे की जांच जारी है।